श्रावण मास, कृष्ण पक्ष 1 वर्ष, अंक 65, पृष्ठ 4, मूल्य 1.00

अखण्ड भारत सन्देश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज शनिवार, 10 अक्टूबर, 2020

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेंट

पीएम की सुरक्षा के तर्ज पर बदली गई सीएम योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी

लखनऊ, जेएनएन। प्रधानमंत्री की सुरक्षा-व्यवस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में अहम बदलाव किया गया है। कैबिनेट बाई सकुर्लेशन संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब प्रधानमंत्री के काफिले की तरह मुख्यमंत्री के काफिले में सुरक्षा वाहनों की कतार में चलने वाले अतिरिक्त वाहन की पोजीशन बदली जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अतिरिक्त वाहन आपात स्थिति के लिए रिजर्व होता है और फ्लीट के वाहनों के बीच चलता है। इस बदलाव को मुख्यमंत्री सुरक्षा की ग्रीन बुक में दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियां पूर्व में कई अलर्ट जारी कर चुकी है, जिनके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा-व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। सुरक्षा मुख्यालय के अधिकारियों ने बीते दिनों प्रधानमंत्री सुरक्षा की ब्लू बुक के अध्ययन के आधार पर इस बदलाव की सिफारिश की थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षा में बदलाव के गठित समिति में शामिल विशेषज्ञों ने कुछ अन्य अहम सुझाव भी दिए थे। मुख्यमंत्री सुरक्षा-व्यवस्था को और पुख्ता किए जाने की कसरत लगातार चल रही है।

इससे पूर्व वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ग्रीन बुक का रिव्यू किया गया था। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुरक्षा में 40 वर्ष की आयु के चुस्त-दुरुस्त जवानों की तैनाती किए जाने के निर्देश भी दिए गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री सुरक्षा में पहले से तैनात कई जवानों को बदला भी गया है।

ध्यान रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियां पूर्व में कई अलर्ट जारी कर चुकी है, जिनके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा-व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों में बदलाव किए जाने से पहले उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। एक अधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा की ब्लू बुक के आधार पर मुख्यमंत्री सुरक्षा की ग्रीन बुक में कुछ बदलाव होंगे। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की फ्लीट की वर्तमान संरचना में कुछ अहम बदलाव किया गया है।

रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को पुलिस ने आज पूछताछ के लिए बुलाया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

मुंबई, पीटीआइ। टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स से छेड़छाड़ करने वाले कथित रैकेट की जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) शिव सुब्रमण्यम सुंदरम को समन जारी किया। उनसे शनिवार सुबह 11 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचकर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। इस बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एक अधिकारी ने बताया कि सुंदरम के अलावा मराठी चैनल 'फक्त मराठी' एवं 'बॉक्स सिनेमा' और कुछ विज्ञापन एजेंसियों के अकाउंटेंट को भी समन किया गया है। सुंदरम को भेजे समन में कहा गया है, यह मानने का पर्याप्त आधार है कि वह मामले के कुछ तथ्यों और परिस्थितियों से वाकिफ हैं और उनकी पुष्टि करने की जरूरत है।

चैनलों के बीच छिड़ी टीआरपी की जंग के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी चैनलों के लिए शुक्रवार को एडवाइजरी जारी की। इसमें उनसे केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 के तहत प्रोग्राम कोड का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके मुताबिक किसी कार्यक्रम में आधा सच, अश्लील और बदनाम करने वाली सामग्री नहीं दिखाई जानी चाहिए। इसके अलावा कार्यक्रम में किसी व्यक्ति, समूह, समाज के वर्ग, जनसाधारण और देश के नैतिक जीवन की आलोचना, छवि बिगाड़ने या कलंकित करने वाली सामग्री नहीं दिखाई जानी चाहिए। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया आदेश का जिक्र भी किया गया है।

इस बीच सूचना प्रौद्योगिकी पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने टीआरपी मसले पर विचार-विमर्श करने का फैसला किया है। समिति के सदस्य और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने थरूर से यह अनुरोध किया था।

उल्लेखनीय है कि मुंबई पुलिस ने गुरुवार को टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) से छेड़छाड़ करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। उसने बताया कि इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले में रिपब्लिक टीवी ने पुलिस के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि वह मुंबई पुलिस आयुक्त के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल करेगा।

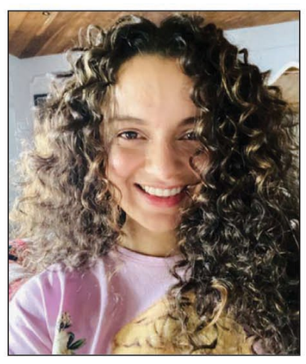

कर्नाटक की अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश

बेंगलुरू, पीटीआइ। कर्नाटक की एक अदालत ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट के मुताबिक, तुमकुर स्थित अदालत कंगना के खिलाफ यह आदेश कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को निशाना बनाकर किए गए उनके कथित ट्वीट का लेकर जारी किए गए हैं। आरोप है कि कंगना ने इन ट्वीट में कथित तौर पर किसानों का अपमान किया... हालांकि कंगना उक्त ट्वीट डिलीट कर चुकी हैं।

अधिवक्ता एल रमेश नाइक की शिकायत के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

अदालत ने कायस्थसंद्रा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक को बॉलीवुड अभिनेत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए एक आवेदन दाखिल किया था।

अधिवक्ता की शिकायत पर अदालत ने कथासंध्रा पुलिस स्टेशन के सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। कायथसंद्रा के ही रहने वाले नाइक ने बताया कि क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन को अभिनेत्री से पूछताछ करने का भी निर्देश दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 21 सितंबर को कंगना ने अपने कथित ट्वटिर हैंडलर पर उक्त विवादित ट्वीट किया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्वीट में कहा गया था कि 'सीएए के बारे में गलत सूचना और अफवाह फैलाने वाले जो लोग दंगे का कारण बने अब वही किसान बिल के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और देश में आतंक फैला रहे हैं। ऐसे लोग आतंकवादी हैं।' हालांकि अगली लाइन में उक्त ट्वीट को जस्टिफाइ करते हुए यह भी कहा गया था कि... 'आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने क्या कहा लेकिन यह केवल गलत सूचना फैलाने के लिए!' अधिवक्ता रमेश नाइक का कहना है कि इस ट्वीट से उनकी भावनाओं के ठेस पहुंची, जिसके बाद उन्होंने रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला लिया।

सुप्रीम कोर्ट का क्लैट-2020 परीक्षा रद करने से इनकार कहा- याचिकाकर्ता समाधान समिति को दें शिकायतें

नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को हुई क्लैट-2020 की परीक्षा में कथित तकनीकी गड़बड़ी के चलते इसे रद करने या इसकी काउन्सलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने शिकायत कर्ता उन पांच अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी है कि वे दो दिन के भीतर अपनी शिकायतें समस्या समाधान समिति को सौंपें। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता दो दिन के भीतर अपनी शिकायतें पेश भेजेंगे और शिकायत समाधान समिति इन पर फैसला लेगा।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से अधिवक्ता पीएस नरसिम्हन ने जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ को बताया कि परीक्षा से संबंधी शिकायतों के लिए सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में शिकायत समाधान समिति है। यह समिति इन याचिकाओं के मसले पर विचार कर सकती है। इस पर अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता आज से दो दिन के भीतर अपनी शिकायतें शिकायत समाधान समिति को भेजें। समिति ही इन शिकायतों पर फैसला लेगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि ऑन लाइन परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी थी और कुछ सवालों के जवाब सही नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि सॉफ्टवेयर ने कुछ जवाबों को सही तरीके से दर्ज नहीं किया। क्लैट के विभिन्न पहलुओं को लेकर करीब 40 हजार पत्तियां मिली हैं। यही नहीं करीब 19 हजार आपत्तियों के बारे में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम की ओर से तो कोई जवाब भी नहीं मिला है। यहां तक कि प्रश्न पत्रों और जवाब तालिका में अनेक गलतियां हैं।

NLUs की ओर से अधिवक्ता पीएस नरसिम्हन ने कहा कि महामारी के दौरान एक अंतहीन काउन्सलिंग संभव नहीं है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एस राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में समिति बनी है। वह गंभीर शिकायतों पर गौर करेगी। तमाम दलीलों और बहस के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हम काउन्सलिंग को नहीं रोक सकते हैं। यह परेशानी का समय है। बता दें कि क्लैट देश के 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में कानून की पढ़ाई के लिए केंद्रीयकृत राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है।

'रुद्रम' ने बढ़ाई भारतीय वायु सेना की ताकत, एंटी-रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण

नई दिल्ली, एजेंसियां। मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत ने एक और ऊंची छलांग लगाई है। शुक्रवार को पहली स्वदेशी एंटी-रेडिएशन मिसाइल 'रुद्रम-1' का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के मिलने से भारतीय वायु सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आइटीआर) से सुबह 10.30 बजे लड़ाकू विमान सुखोई-30 से किया गया। परीक्षण के दौरान यह मिसाइल अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने में सफल रही। इसकी रफ्तार से हवा से दो गुनी तेज है। लांच के हिसाब से यह अलग-अलग

दूरी तक मार करने में सक्षम है। अपनी तरह की यह पहली स्वदेशी मिसाइल है। पूरी तरह से विकसित होने के बाद इसे सुखोई-30

एमकेआइ के साथ ही अन्य लड़ाकू विमानों के साथ लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि इसमें (रुद्रम) में अंतिम हमले के लिए आइएनएस-जीपीएस नेविगेशन के साथ पैसिव होमिंग हेड मौजूद है। पैसिव होमिंग हेड अलग-अलग फ्रिक्वेंसी पर लक्ष्यों की पहचान और उन्हें वगीर्कृत कर निशाना साध सकता है। यह मिसाइल दुश्मन के किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ कर उसे नष्ट कर सकती है।

5 अक्टूबर को ओडिशा के बालासोर से ही एंटी-सबमरीन शस्त्र प्रणाली टारपीडो सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था।

3 अक्टूबर को बालेश्वर में सुपरसोनिक शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है।

1 अक्टूबर को लेजर गाइडेड एंटी-टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में एमबीटी अर्जुन टैंक से फायर किया गया।

30 सितंबर को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के क्रूज वर्जन का सफल परीक्षण किया गया था।

पिछले साल सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के हवा से हवा में मार करने वाले संस्करण का परीक्षण किया गया। इसे भी सुखोई-30एमकेआइ लड़ाकू विमान से फायर किया गया था।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके डीआरडीओ को मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा, 'न्यू जनरेशन एंटी-रेडिएशन मिसाइल (रुद्रम -1) पहली स्वदेशी एंटी-रेडिएशन मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। भारतीय वायुसेना के लिए तैयार मिसाइल का आइटीआर, बालासोर पर सफल परीक्षण किया गया। इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और अन्य हिस्सेदारों को बधाई।'

कुछ दिन पहले बालेश्वर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस के वैज्ञानिकों के प्रयास से तौयार जमीन से जमीन पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया था। यह प्रक्षेपास्त्र 8.4 मीटर लंबा तथा 0.6 मीटर चौड़ा है और इसका भार 3000 किलोग्राम है। इस में मिसाइल 300 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने तथा 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक वार करने की क्षमता है। इसे पानी जहाज हवाई जहाज जमीन एवं मोबाइल लांचर से छोड़ा जा सकता है। इसका प्रक्षेपण पनडुब्बी हवाई जहाज और जमीन आधारित मोबाइल ऑटोनॉमस लांचर से भी किया जा सकता है।

इसके अलावा पिछले साल दिसंबर महीने में भी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर से दो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को जमीन और हवाई प्लेटफार्म से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।

इससे पहले पिछले महीने स्वदेश में तैयार की गई परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी-2 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी-2 मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है।

जनहित याचिका में दावा सदस्यों के नामांकन में नहीं हो रहा EPF अधिनियम का पालन, दिल्ली HC ने की खारिज

नई दिल्ली, पीटीआइ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि 1952 के कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम और इसके तहत बनाई गई योजनाओं का सदस्यों का नामांकन करते समय पालन नहीं किया जा रहा था।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि अयोग्य व्यक्तियों को ईपीएफ योजनाओं में सदस्य के रूप में नामांकित किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को बड़ा नुकसान हुआ था।

ईपीएफओ में एक लेखा अधिकारी, याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करते हैं और आयकर लाभ उठाते हैं, बीमारी के आधार पर अपने पीएफ खातों से पैसा निकालते हैं क्योंकि इस तरह के अग्रिमों के लिए कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं है और जब वे सेवा छोड़ देते हैं, उनके खाते में शेष राशि ₹इतनी कम₹ है कि कोई कर देयता नहीं है।

शोवन पात्रा की याचिका में आरोप लगाया गया है कि इससे आयकर प्रावधानों का उल्लंघन करके सरकारी राजस्व का भारी नुकसान होता है। दलील में यह भी आरोप लगाया गया था कि कर और अन्य लाभों को बचाने के लिए, नियोक्ता अपने पुराने रिश्तेदारों या यहां तक ??कि खुद को पीएफ सदस्यों के रूप में पूर्ण वेतन पर नामांकित करते हैं, हालांकि वे पीएफ सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं।

'जब तक पीएफ के तहत नामांकन की कोई आयु सीमा नहीं है, वे अपनी मृत्यु तक निधि में योगदान करते रहते हैं और ईपीएफ योजनाओं के तहत कर-मुक्त लाभ प्राप्त करने में सक्षम हैं और 6 लाख रुपये की अतिरिक्त कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना भी है।

याचिका में केंद्र से मौजूदा ईपीएफओ सॉफ्टवेयर को संशोधित करने के निर्देश दिए गए थे, जो अधिनियम 1952 के प्रावधानों और उसके तहत तैयार की गई योजनाओं के अनुसार, ₹ताकि कवर किए गए प्रतिष्ठानों के केवल योग्य कर्मचारियों को ही सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सके'।

राम विलास पासवान के सम्मान में आज दिल्ली सहित सभी राज्यों की राजधानियों में आधा फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज

नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय मंत्री और लोकजनशक्ति पार्टी के संस्थापक राम विलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने अखिरी सांस ली। उनके निधन पर दिल्ली सहित बाकी राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्र ध्वज को आधा झुकाया जाएगा। बता दें कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ पटना में उनका अंतिमं संस्कार किया जाएगा।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज 9 अक्टूबर को दिल्ली और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानियों में आधा फहराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां अंतिम संस्कार होता है वहां अंतिम संस्कार के दिन भी झंड़ा आधा ही फहराया

जाता है। गौरतलब है कि पासवान के बेटे चिराग पासवान ने 4 अक्टूबर को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 3 अक्टूबर को रामविलास पासवान की स्थिति खराब हो गई थी। इसी दिन देर रात उनकी हृद्य की सर्जरी करनी पड़ी थी। बता दें कि रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। वह पिछली एनडीए सरकार में भी मंत्री रहे। बिहार में हाजीपुर से जनता पार्टी के टिकट पर पासवान पहली बार 1977 में लोकसभा के लिए चुने गए थे।

बता दें कि पासवान को लंबे समय से दिल की बीमारी थी। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और उपभोक्ता मामलों के मंत्री को कई हफ्तों के लिए यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया था और हाल ही में उनका दिल का ऑपरेशन हुआ था। एलजेपी के सूत्रों ने बताया कि पासवान के शव को शुक्रवार को नई दिल्ली में उनके जनपथ स्थित आवास पर लाया जाएगा और फिर दोपहर में पटना स्थित पार्टी के कार्यालय में भेज दिया जाएगा। शनिवार को पटना में अंतिम संस्कार होगा।

नक्सलियों के खतरनाक मंसूबों को आइटीबीपी के जवानों ने किया नाकाम, पांच किलो का IED बम किया गया डिफ्यूज

कोरबा, एएनआइ। छत्तीसगढ़ में नकस्लियों के खतरनाक मंसूबों पर आइटीबीपी के जवानों ने पानी फेर दिया। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (क्ळइढ) की 40वीं बटालियन ने कोरबा जंगल के बूभन्भाट के पास एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आइटीबीपी के जवानों को 5 किलो वजन का आइडी बम बरामद हुआ, जिसे जवानों ने तुरंत ही निष्क्रिय (डिफ्यूज) कर दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने अंतिम दिन गिन रहा है। यहां पुलिस और सुरक्षा बल अब चप्पे-चप्पे तक पहुंच बना चुके हैं, जिससे नक्सलियों में बौखलाहट बढ़ रही है। इसी बौखलाहट को निकालने के लिए नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आए दिन नक्सली द्वारा मासूम लोगों पर हमला करने की खबरे सामने आती रहती हैं वहीं, आज ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के गुडसे गांव के समीप नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने

से दंपत्ती गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार की सुबह ग्रामीण दंपत्ती काम घर से रिश्तेदार के यहां जाने के लिए पैदल निकले थे, इसी दौरान कच्चे रास्ते पर लगाए प्रेशर बम पर उनका पैर पड़ने से विष्फोट हो गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। बता दें कि इसके पहले छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी पांच गाड़ियों में आग लगा दी थी। जिले के मोहला पुलिस स्टेश की सीमा के अंतर्गत पारडी और परविडीह गांव के बीच सड़क निर्माण किया जा रहा था। इस घटना की अधिक जानकारी देते हुए राजनांदगांव के एसपी डी श्रवण ने बताया था कि नक्सलियों द्वारा जलाई गई गाड़ियों में एक चेन माउंटेन वाहन, दो मिक्सर मशीन और दो ग्रेडर यानी कुल पांच गाड़ियों आग लगाई गई थी।

ग्रामीण अंचल

प्रयागराज शनिवार, 10 अक्टूबर, 2020

संक्षेप समाचार

स्मैक बेचने में बेटे-बेटी संग महिला की दिखाई गई गिरफ्तारी

नैनी। गुरूवार रात में महेवा गांव में छापेमारी के दौरान पकड़े गए दर्जनों लोगों में से पुलिस ने सरगना महिला और उसके बेटे-बेटी का चालान किया है। जिनमें खुशीर्दा बानो पत्नी असद रहमान निवासी बहादुरगंज, मुट्ठीगंज, उसके बेटे अनस और बेटी निशा हैं। जिनके पास से 48.39 ग्राम स्मैक व स्मैक बिक्री के 19200 रुपये की बरामदगी दिखाई है। चौकी इंचार्ज एग्रीकल्चर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि पूरा परिवार स्मैक का धंधा करता था।

तमंचा कारतूस बम के साथ गिरफ्तार

नैनी। पुलिस ने पीडीए मोड़ के समीप रेलवे क्रासिंग के पास से चार शातिर अपराधियों हिमांशु सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी चंद्रभानपुर, घूरपुर, रामराज पुत्र अमरनाथ निवासी धर्मदेवा, पड़री, मिजार्पुर, विक्रम शाह पुत्र राम शाह व दीवान सिंह पुत्र तोताराम निवासी समहट, रूपवास, भरतपुर राजस्थान, हाल पता सीओडी, रामसागर, नैनी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 11 बम, एक तमंचा व कारतूस बरामद की गई है।

आवास पात्रता सूची को लेकर महिलाओं ने बीडीओ से की शिकायत

कोरांव। विकासखंड कोरांव के ग्राम पंचायत रत्योरा करपिया गांव में प्रधानमंत्री आवास पात्रता सूची में अनियमितता को लेकर शुक्रवार को दर्जनों की संख्या में महिलाएं खंड विकास अधिकारी कार्यालय कोरांव पर पहुंचकर शपथ पत्र देकर खंड विकास अधिकारी रमाशंकर सिंह शिकायत की है।

रत्योरा करपिया गांव की आरती सिंह पत्नी शिव शंकर, कुसुम कुशवाहा पत्नी राकेश कुमार, नफीसा बेगम पत्नी स्वर्गीय रईस, रजिया बेगम पत्नी आबिद अली, रुखसाना बेगम पत्नी मोहम्मद ताहिर, सलमा बेगम पत्नी मोहम्मद रजा, सफीना बेगम पत्नी मोहम्मद जलील, शहनाज बेगम पत्नी स्वर्गीय वसीम, राजकुमारी पत्नी विजय कुमार, कलावती पत्नी बबलू ,उर्मिला देवी पत्नी संजय कुमार, मुन्नी देवी पत्नी प्रेम बहादुर, राजकली पत्नी उमेश कुमार, श्यामकली पत्नी फूलचंद, गीता देवी पत्नी दीपक आदि ने शिकायत कर आरोप लगाया है कि हम पात्र महिलाओं को पात्रता सूची में नाम होने के बावजूद भी अपात्र कर दिया गया है । और अपात्रो को उक्त सूची में शामिल किया गया है। पीड़ित महिलाओं ने जांच कार्रवाई कर आवास पात्रता सूची में शामिल कराने की मांग की है। इसी प्रकार उक्त गांव की ही रहने वाली कलावती पत्नी बबलू कोल को जांच अधिकारियों ने यह कह कर अपात्र कर दिया है कि इनको पूर्व में वर्ष 2012 -13में आवास मिला हुआ हैं। किंतु लाभार्थी कलावती की बातों पर गौर किया जाए तो उसका कहना है कि मुझे आवास की धनराशि मेरे किसी भी बैंक खाते में नहीं दी गई है। जांच अधिकारी व ग्राम प्रधान झूठ बोलकर मेरा नाम पात्रता सूची से कटवाने का प्रयास कर रहे हैं। महिला ने खंड विकास अधिकारी से यह भी मांग की है कि अगर मुझे वर्ष 2012 -13में आवास मिला है तो किस खाते में धनराशि गई है । और आवास बना क्यों नहीं इस बात की भी जांच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

बीडीओ कोरांव से शिकायत करने पहुंची महिलाएं

बोलेरो की टक्कर से अधेड़ घायल

सहसों। थरवई थाना क्षेत्र के प्रयागराज गोरखपुर राजमार्ग पर सेमरी गांव के सामने शुक्रवार को दोपहर बाद लगभग 3.00 बजे साइकिल सवार अधेड़ अपने घर जा रहे थे। सेमरी गांव निवासी लल्लू प्रजापति लगभग 65 वर्ष को पीछे से एक बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे लल्लू प्रजापति सड़क पर गिर गयेए जिसमे वह गंभीर रूप से घायल हो गए । बोलेरो चालक ने वाहन को रोककर घायल लल्लू को अपने वाहन से लेजाकर पास के ही निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। जहां पर उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। सुचना पाकर परिजन भी अस्पताल पहुंच कर स्थित से अवगत हुए।

हाईकोर्ट समाचार

सेवानिवृत्त अध्यापकों को बकाया वेतन देने का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय गणेशगंज उरई, जालौन के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अब्दुल वदूद व अन्य सहायक अध्यापकों को अंगद यादव केस के विधि सिद्धांत के तहत बकाये वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने अब्दुल वदूद व तीन अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयो के लिए शिक्षा सत्र में 2015 में बदलाव किया। जुलाई के बजाय अप्रैल से शिक्षा सत्र चलाने का निर्णय लिया। नियमानुसार शिक्षा सत्र के बीच में सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक सत्रांत तक कार्यरत रहते हैं। और सत्रांत की आखिरी तारीख को सेवानिवृत्त होते हैं। सत्र अप्रैल से होने के कारण जिन्हे 30 जून को सेवानिवृत्त होना था उन्होंने सत्रांत 31 मार्च 16 तक कार्यरत रहने की मांग में याचिका दायर की। इन्हें जुलाई 16 से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। कोर्ट ने जुलाई से हटाये गये अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया। याची ने भी कोर्ट आदेश से कार्यभार ग्रहण किया। किन्तु उसे एक जुलाई से कार्यभार ग्रहण करने तक का वेतन नो वर्क नो पे पर नहीं दिया गया। अंगद यादव केस में कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों को पूरे सत्र का वेतन पाने का अधिकार है। इसके बावजूद भुगतान नही किया गया। जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी थी।

जुवेनायल जस्टिस बोर्ड एवं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अध्यक्ष व सदस्यों की चयन प्रक्रिया की जानकारी तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जून 20 तक जुवेनायल जस्टिस बोर्ड एवं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन प्रक्रिया पूरी करने के आदेश के बावजूद चयन क्यों नहीं किया जा सका है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि जानकारी नहीं दी गयी तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगी। याचिका की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने ईश्वरी प्रसाद तिवारी की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को जून 20 तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। याची ने भी आवेदन किया है। बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के पद भारी संख्या में खाली हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट से जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा। याचिका में अध्यक्ष व सदस्यों का चयन करने एवं दुर्भावना व भेदभाव रहित चयन की नीति बनाने की मांग की गयी है। याचिका की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी।

कान्सटेबिल भर्ती में गड़बड़ी पर कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से मांगी जानकारी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिक पुलिस और पीएसी में कांस्टेबल भर्ती के मामले में महिला आरक्षियों के वर्ग में पदों के सापेक्ष ढाई गुना से अधिक अभ्यर्थी बुलाने और बिना वैध जाति प्रमाणपत्र के ओबीसी कोटे में अभ्यर्थियों का चयन करने के मामले में राज्य सरकार तथा पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। इस मामले को लेकर कई ओबीसी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि सभी चरणों में सफल होने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। रुचि यादव व अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजय भनोट ने इस मामले में जानकारी मांगी है। याची के अधिवक्ता के मुताबिक 2018 भर्ती में महिला आरक्षियों का 31360 पदों पर चयन होना था। याचीगण ने ओबीसी कोटे के तहत आवेदन किया। लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन आदि में वह सफल रहीं। ओबीसी कोटे की कट ऑफ मेरिट 182.3272 थी जिसमें याचीगण सफल थी। अंतिम चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी थी। बोर्ड ने विज्ञापन की शर्त के अनुसार पहले कुल पदों के सापेक्ष ढाई गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के हिसाब से चयन हेतु बुलाया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर 2019 से जनवरी 20 के बीच हुई। आठ जनवरी 20 को बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की कि योग्य महिला अभ्यर्थियों के न मिलने के कारण अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। इसके बाद कट ऑफ मेरिट नीचे गिरा कर 167.3889 कर दी गई। दो मार्च 2020 को अंतिम चयन परिणाम जारी हुआ जिसमें याचीगण का चयन नहीं हुआ। याचीगण का कहना था कि जब वह इससे ऊपर की कट ऑफ मेरिट में चयनित थी तो मेरिट नीचे लाने के बाद उनको किस प्रकार से चयन में बाहर कर दिया गया। यह भी कहा गया कि चयन सूची में बहुत सी ऐसी अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है जिनके पास अप्रैल से दिसंबर 18 के बीच का ओबीसी जाति प्रमाणपत्र नहीं है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए जानकारी तलब की है।

सरकारी गल्ले की दुकान आवंटन में दी गई अर्जी को खारिज करने का आदेश रद्द

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित कोटे में सरकारी गल्ले की दुकान का लाइसेंस देने के लिए आवेदन हेतु निर्धारित 45 दिन की समय सीमा के पीछे अनावश्यक विलंब को रोकना है। ताकि कार्ड धारकों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। यह प्रक्रिया निदेर्शात्मक है। इसलिए यदि आवेदन में विलंब हुआ है और किसी अन्य को दुकान का आवंटन नहीं किया गया है तो मृतक आश्रित के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने एसडीएम छिबरामऊ कन्नौज द्वारा याची राजेश कुमार का प्रत्यावेदन विलंब के आधार पर खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया है और उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर लाइसेंस देने का निर्देश दिया है। राजेश कुमार की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने दिया। याची के पिता भइया लाल की सरकारी गल्ले की दुकान थी। 31 जनवरी 19 को उनकी मृत्यु के बाद याची ने दुकान का लाइसेंस मृतक आश्रित कोटे में देने हेतु आवेदन किया। एसडीएम ने आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आवेदन निर्धारित 45 दिन की समय सीमा के बाद प्राप्त हुआ है। याची का कहना था कि उसने आवेदन समय के भीतर किया था मगर एसडीएम कार्यालय ने इसकी कोई रिसीविंग नहीं दी और न ही आवेदन पर कोई कार्यवाही की तो उसे रजिस्टर्ड डाक से दुबारा आवेदन भेजा। जिस पर एसडीएम ने समय सीमा का हवाला देकर उसका आवेदन खारिज कर दिया। याची का कहना था कि अभी तक दुकान का आवंटन किसी अन्य को नहीं किया गया है। इसलिए उसके प्रत्यावेदन पर विचार हो सकता है। कोर्ट ने इस मामले में सहानुभूति पूर्ण नजरिया अपनाने की आवश्यकता बताते हुए एसडीएम का आदेश रद्द कर दिया है और याची से आवेदन लेकर उसके दुकान का लाइसेंस देने पर विचार करने को कहा है।

गैंग लीडर घोषित करने के खिलाफ याचिका पर 15 को सुनवाई

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रम्मन का पुरवा धूमनगंज, प्रयागराज निवासी सभासद निहाल कुमार ने गैंग लीडर घोषित करने की वैधता की चुनौती याचिका की सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस याची को गैंग लीडर घोषित कर उसके पैतृक मकान को ध्वंस करने की कार्यवाही करना चाहती है। याची के खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज थे। जिनमें से वह 13 मामलो में बरी हो चुका है। दो बार सभासद रहा,एक बार उसकी पत्नी सभासद रही। 27जून तीस को बिना कोई नोटिस या सफाई का मौका दिये अखबार में गैंग लीडर घोषित करने की सूचना प्रकाशित हुई है। उसके खिलाफ राजनैतिक कारणों से केस दर्ज किया गया है। गैंग के द्वारा अपराध करने का आरोप नही है। मनमाने तरीके से गैंग लीडर घोषित कर दिया गया है। सुनवाई 15अक्तूबर को होगी।

एनीमिया कई बीमारियों का कारण, नियमित खाएं आयरन की गोली : डॉ शैलेंद्र

प्रशिक्षण शिविर में एएनएम, मुख्य सेविकाओं को दी गई जानकारी

शंकरगढ़। अनियमित खानपान और दिनचर्या की वजह से शरीर में होने वाली खून की कमी कई बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए हम सभी को शरीर में आयरन की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए डॉक्टर के परामर्श अनुसार आयरन की गोली का सेवन करते रहना चाहिए। यह बातें सीएचसी शंकरगढ़ में अधीक्षक डॉ शैलेंद्र कुमार सिंह ने कही।

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूरण विषयक प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह में सरकार द्वारा चलाई जा रही 'विफस' योजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित एएनएम, मुख्य सेविकाओं और बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस योजना के संबंध में जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक करने और साप्ताहिक आयरन गोली खाने की सलाह देने के संबंध में प्रशिक्षित किया। कहा कि एएनएम और मुख्य सेविकाएं अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों को रक्ताल्पता से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करें और साप्ताहिक आयरन की गोली खाने की सलाह दें। इस कार्यक्रम में डॉ राजेश कुमार, बीपीएम अभिषेक मिश्र, बीसीपीएम संजय कुमार प्रजापति, बीए अनिल कुमार यादव, काउंसलर नंदलाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

शिविर में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देते डॉ. शैलेन्द्र

ट्रक की टक्कर से कार सवार शिक्षक की मौत

नैनी। कोतवाली क्षेत्र के लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल के समीप बीती रात एक ट्रक की टक्कर लगने से कार सवार शिक्षक की मौत हो गई। जिससे परिजनों में कोहराम मचा रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।

जानकारी के मुताबिक नैनी कोतवाली क्षेत्र के न्यू चक भटाही कॉलोनी निवासी आशीष पीटर (30) पुत्र स्वर्गीय न्यूटन पिटर दो भाइयों में बड़े थे और वह छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे। बीते कुछ दिनों से वह म्योराबाद स्थित अपने मौसी के घर पर रह रहे थे। गुरुवार देर रात दो बजे उसके एक दोस्त का मोबाइल कॉल आया कि उसका वाहन खराब हो गया है। जिस पर आशीष ने परिजनों को यह बात बताते हुए अपने एक अन्य दोस्त की कार लेकर नैनी की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल के समीप पहुंचा, एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।

छात्र की यमुना नदी में डूबने से मौत परिजनों में कोहराम

नैनी। कोतवाली क्षेत्र के अरैल घाट पर शुक्रवार को स्नान के दौरान एक छात्र यमुना नदी में डूब गया। जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा रहा। जानकारी के मुताबिक नैनी कोतवाली क्षेत्र के पूरा फतेह मोहम्मद, रामनगर निवासी राजेश दिवाकर पुत्र स्वर्गीय दिलाश राम के पुत्र अभिषेक दिवाकर (21) स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। शुक्रवार सुबह वह अपने तीन साथियों के संग स्नान करने के लिए अरैल घाट पर गया हुआ था। बताया जाता है कि चारो दोस्त यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। तभी अभिषेक का पैर गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। यह देख उसके साथियों ने उसे बचाने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन वह पानी में समा गया। शोर मचाने पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों को बुलाया गया। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने यमुना नदी में डूबे छात्र के शव को बाहर निकाला। वहीं मौके पर मौजूद मृतक के परिजनों ने जब शव को देखा तो कोहराम मच गया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिए।

मछुआ समाज को अनुसूचित का आरक्षण दिला कर ही लेंगे दम : डॉ संजय निषाद

घूरपुर। मछुवा समुदाय के अगुवा और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को निषाद पार्टी द्वारा पुनः निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किए जाने के मौके पर जिला प्रयागराज विधानसभा बारा के गांव कंजासा में निषाद पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन गुरुवार के दिन किया गया ।

इस आयोजन के मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा 1 किलोमीटर की रैली रखी गयी जिसमे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने पैदल चल कर रैली को सफल बनाया। और 2022 के चुनाव की तैयारी का बिगुल फूंका ।

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संजय कुमार निषाद ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि फिर सुलगेगी निषाद आरक्षण की मांग। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संजय कुमार निषाद ने आगे कहां की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण अरुण सिंह जी से सांसद ई. प्रवीण निषाद ने मछुआ आरक्षण के संबंधित सभी दस्तावेजों को दिखाकर समझा लिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि शीर्ष नेतृत्व से जल्द मुलाकात का समय मिलेगा

उन्होंने आगे 1857 की आजादी की लड़ाई को याद करते हुए मछुआ समुदाय राजनैतिक आजादी के लिए मछुआ अनुसूचित जाति आरक्षण के वादे को याद दिलाया कि संविधान की अनुसूचित जाति में अंकित मझवार गोड, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली की पर्यायवाची जातियां जून 1992 से पहले अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता था। निषाद केवट मल्लाह विंद माझी कश्यप ढीमर रैकवार बाथम आदि को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिले। जैसे चमार की पर्यायवाची जाति को मिलता है। धोबी की पर्यायवाची जाति को मिलता है! मछुआ समुदाय को गलती से पिछड़ी जाति की सूची में सूचीबद्ध होने के नाते इन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। 1961 सेंसस मैनुअल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित मछुआ समुदाय की सभी अनुसूचित जाति को दर्जा प्राप्त कराए जाएं। जिन्हें अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था। भाजपा मछुआ आरक्षण को लागू करा कर उपेक्षित समुदाय को हिस्सा दिलाने के अवसर प्राप्त कराएं। निषाद पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता उन्हें याद दिलाएंगे की जिस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सरकार बनवाए था वह हमारे आरक्षण को लागू कराएं। इसलिए निषाद पार्टी ने निर्णय लिया है कि सभी एमपी को ज्ञापन दिया जाए ताकि केंद्र के होम मिनिस्टरी से दूसरी जाति को जैसे मिलता था अब निषादों को मिले।! जिन्हें अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उन्हें हिस्सा देकर बसाया जाए। मछुआ समुदाय सहृदय स्वाभिमानी रहा है। सबका साथ सबका विकास भाजपा ने वादा किया था वह पूरा करें। यह धोखा खाया हुआ समाज है, अब जाग गया है! अब जो धोखा देगा वह धोखा खाएगा!

इस आयोजन के मौके पर डॉक्टर संजय निषाद व पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी संदीप निषाद ने जिला पंचायत के चुनाव पर भी खास चर्चा की और बताया इस चुनाव में भी पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव मुरलीधर निषाद, निषादराज प्रांत के अध्यक्ष बनारसी लाल निषाद, जिला अध्यक्ष राम टहल निषाद, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शांति और संध्या प्रदेश आईटी सेल सचिव आलोकनाथ निषाद, प्रमुख संजीत निषाद, जिला अध्यक्ष युवामोर्चा नितेश, शिव प्रसाद निषाद आंदोलनकारी, युवा मोर्चा प्रदेश सचिव संतोष निषाद, सचिव दिलीप निषाद, सचिव पंचम निषाद, ओम प्रकाश निषाद, फूलचंद्र निषाद, सूर्यबली, शिवा निषाद, अक्षयलाल निषाद, मंजीत निषाद, विधानसभा चांद निषाद, बीरेंद्र निषाद, सुरेंद्र निषाद आदि मौजूद रहे ।

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते डॉ संजय निषाद

बीएड काउंसलिंग में कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों की वर्चुअल मोड में होगी उपस्थिति

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की 12 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही बीएड एवं बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश काउंसलिंग में कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों की उपस्थिति वर्चुअल मोड में होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में उपस्थित रहने से छूट प्रदान की गई है।

प्रवेश काउंसलिंग समन्वयक प्रोफेसर पी.पी दुबे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में बुलाए गए हैं, अगर वह कोरोना पाजिटिव हैं तो विश्वविद्यालय को समय से पूर्व जानकारी दे दें और अपनी पाजिटिव वाली रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने ऐसे अभ्यर्थियों की मेरिट प्रभावित होने से रोकने के लिए उन्हें वर्चुअल मोड से काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कराने का अवसर प्रदान किया है। प्रो. दुबे ने बताया कि काउंसलिंग के दिन निर्धारित समयावधि में वर्चुअल मोड में कोरोना संक्रमित अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। उक्त अभ्यर्थी को सब कुछ ठीक होने की स्थिति में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा, किंतु जांचोपरांत कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने एवं स्थिति सामान्य होने के पश्चात अभ्यर्थी को सभी मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्या शाखा के प्रभारी निदेशक के समक्ष उपस्थित होकर सत्यापन कराना होगा। उन्होंने बताया कि अध्ययन केंद्र आवंटित होने के तुरंत बाद प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा तथा अध्ययन केंद्र पर आयोजित इंडक्शन कार्यक्रम में प्रवेशार्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

बाजे-गाजे के साथ हुआ गाय का अंतिम संस्कार

लालापुर। क्षेत्र के ग्राम पंचायत भटपुरा में शुक्रवार को एक गाय की मौत हो गई, जिसे ग्रामीणों बाजे गाजे के साथ अंतिम संस्कार किया। जानकारी के अनुसार भटपुरा गांव के एक किसान की गाय की मौत अचानक हो गई,इसके बाद किसान ने गाय का विधिवत अंतिम संस्कार किया, उसके शव को पहले लाल रंग के कपड़े ढंका गया और फिर उसे बैलगाड़ी पर रखकर बैंडबाजे से मातमी धुन बजाते हुए उसकी शवयात्रा निकाली गई। शव यात्रा में गांव के कई सारे लोग शामिल हुए, बाद में वैदिक मंत्रों और हिंदू रीत-रिवाज के साथ गाय का अंतिम संस्कार किया गया।

गऊमाता हमारे भारतीय संस्कृति की अभिन्न अंग है जन्म से लेकर अन्त समय तक लोग इनके दूध रूपी अमृतपान करता है। गऊ को हम माता मानते हैं भारत में विधि विधान से गऊ माता की पूजा होती है। जिनके शरीर के सारे अंगों पर देवी देविताओं का वास होता है। यह अंतिम संस्कार करके समाज को आईना दिखाने का काम किया है।

गाय के शव को अंतिम संस्कार के लिए जाते लोग

प्रयागराज हलचल

संक्षेप समाचार

मधुमक्खी पालक कौशल विकास प्रशिक्षण

प्रयागराज। कृषि विज्ञान केन्द्र, शुआट्स, इलाहाबाद के द्वारा संचालित मधुमक्खी पालन कौशल विकास विषय पर एक माह का प्रशिक्षण चल रहा है जिसमें 20 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे है। इस प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केन्द्र के हेड/वरिष्ठ वैज्ञानिक डा0एस.डी. मेकार्टी ने क्षेत्र के नवयुवकों को मधुमक्खी पालन, कृषि विस्तार सेवा प्रदाता तथा पशुपालन जैसे व्यवसायों को अपना कर रोजगार एंव आय प्राप्त कर सकते है इसके साथ साथ पशुपालन के विषय में विस्तृत जानकारी दी। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक/प्रोग्राम समन्वयक डा0 अजय कुमार ने मधुमक्खी पालन की तकनीकि जानकारी दी। जिसमें मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण के दौरान उनकी देखभाल, रखरखाव, भोजन एंव खेती तथा बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का लाभ जिसमें उनकी फसल उत्पादकता में वृद्धि रोग कीटो के प्रभाव तथा रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के विषय में बताया। नाबार्ड के डी.डी.एम.,प्रयागराज श्री अमित लाल के द्वारा नाबार्ड की योजनाओं एंव कौशल विकास के लिये मिलने वाले लोन आदि सम्बन्धित जानकारी दी।

देश के आठ राज्यों से आठ गांव क्राफ्ट टूरिज्म विलेज चयनित : मुदिता मिश्रा

प्रयागराज में मूंज क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में

प्रयागराज। डीसी हैंडीक्राफ्ट की एडीशनल डेवलपमेंट कमिश्नर, भारत सरकार मुदिता मिश्रा ने शुक्रवार को गांधी सभागार में मूंज क्राफ्ट विलेज स्कीम के बारे में बताया कि इस योजना के अन्तर्गत देश के आठ राज्यों के आठ गांव का चयन क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में किया गया है। जिनमें से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के महेवा गांव को मूंज क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है।

मण्डलायुक्त आर0 रमेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मूंज क्राफ्ट टूरिज्म विलेज की चहुंमुखी विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के सम्बंध में आयोजित बैठक में उन्होंने आगे बताया कि इस गांव में बहुत पुराने समय से बड़ी संख्या में मूंज क्राफ्ट के कारीगर उत्पाद बनाते रहे है। उक्त गांव को विकसित करने की जिम्मेदारी उद्यमिता विकास संस्थान उप्र लखनऊ को दी गयी है। कहा कि मूंज क्राफ्ट के कार्य में लगे हुए लोगो को तकनीकी उन्नयन, विपणन, कच्चे माल की व्यवस्था एवं डिजाइनिंग आदि में पारंगत कराते हुए महेवा गांव को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूंज क्राफ्ट के लिए स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां पर परम्परागत व्यवसाय को बढ़ावा दिये जाने के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जायेगा। महेवा गांव में सड़कों तथा गलियों को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जायेगा। बैठक में मण्डलायुक्त ने नगर निगम, विद्युत विभाग, पीडब्लूडी सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने गांव में खुली नालियों को कवर्ड करने का निर्देश नगर निगम को दिया है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सम्बोधित करती एडीशनल डेवलपमेंट कमिश्नर

चालान के विरोध में अपर नगर आयुक्त को फुटपाथ व्यापारियों ने मांग पत्र सौंपा

प्रयागराज। फुटपाथ व्यापारी एकता समिति जिला प्रयाग राज द्वारा फुटपाथ व्यापारियों के मुख्य संरक्षक व्यापारी नेता विजय गुप्ता के नेतृत्व में फुटपाथ व्यापारियों के चालान किए जाने के विरोध में नगर निगम कार्यालय में अपर आयुक्त मुशीर अहमद को मांग पत्र सौंपा।

इस अवसर पर विजय गुप्ता ने कहा कि फुटपाथ व्यापारियों का दुकान आवंटित कर प्रमाण पत्र दिया जाए, जिससे वे वहां दुकान लगा सकें। नगर निगम द्वारा फुटपाथ व्यापारियों का चालान एवं नगर निगम प्रशासन फुटपाथ व्यापारियों को उत्पीड़न बंद करे। फुटपाथ व्यापारी एकता समिति जिलाध्यक्ष विकास अग्रहरी ने कहा कि जब तक दुकानें आवंटित ना हो तब तक हम लोग रोजगार करने दिया जाए उजाड़ा ना जाए। इस अवसर पर पार्षद अशोक सिंह, मनीष गुप्ता, सुशील गुप्ता, सीता देवी, शांति बनजम, संगीता साहू, अवि गुप्ता, राहुल साहू, शंकर लाल, गब्बू केसरवानी, भोले साहू, पप्पू, कमलेश कुमार, अभिषेक सिंह, गौरव रावत, सतीश, मनोज, नंदलाल, कल्लू केसरवानी, सौरभ, विजय कुमार, अभिषेक गुप्ता, रमेश कुमार जायसवाल सहित अन्य फुटपाथ व्यापारियों ने मांग पत्र सौंपा।

प्रदर्शन करते फुटपाथ व्यापारी

रेल प्रशासन कर रहा विशेष गाड़ियों का संचालन

प्रयागराज। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु विशेष गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह के अनुसार 09047-09048 बांद्रा (ट.)-निजामुद्दीन विशेष युवा एक्सप्रेस गाड़ी (साप्ताहिक) बांद्रा (ट.) से गाड़ी सं. 09047 प्रत्येक शुक्रवार 16 अक्टूबर से तथा निजामुद्दीन से गाड़ी 09048 प्रत्येक शनिवार 17 अक्टूबर से अगले निर्देश तक चलेगी। गाड़ी संरचना में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी चेयर कार 10, वातानुकूलित चेयर कार 06 होंगे। गाड़ी सं. 02172-02172 लोकमान्य तिलक (ट.) हरिद्वार विशेष वातानुकूलित एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) लोकमान्य तिलक (ट.) से गाड़ी 02171 प्रत्येक सोमवार व गुरुवार 15 अक्टूबर से तथा हरिद्वार से गाड़ी 02172 प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार 16 अक्टूबर से चलेगी। गाड़ी संरचना में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एक, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी दो, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी 15 डिब्बे होंगे। गाड़ी 02121-02122 लोकमान्य तिलक (ट.) लखनऊ विशेष वातानुकूलित एक्सप्रेस (साप्ताहिक) लोकमान्य तिलक (ट.) से गाड़ी 02121, प्रत्येक शनिवार 17 अक्टूबर से तथा लखनऊ से गाड़ी 02122 प्रत्येक रविवार 18 अक्टूबर से चलेगी। गाड़ी संरचना में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एक, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी चार, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी 12 व पैंट्री कार एक डिब्बे होंगे। इसी प्रकार गाड़ी सं. 02025-02026 नागपुर-अमृतसर विशेष वातानुकूलित एक्सप्रेस (साप्ताहिक) नागपुर से गाड़ी 02025 प्रत्येक शनिवार 17 अक्टूबर से तथा अमृतसर से गाड़ी 02026 प्रत्येक सोमवार 19 अक्टूबर से चलेगी। गाड़ी संरचना में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एक, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी चार, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी नौ डिब्बे होंगे। गाड़ी सं. 02209-02210 भुवनेश्वर-नई दिल्ली विशेष दुरंतो एक्सप्रेस (साप्ताहिक) भुवनेश्वर से गाड़ी 02209 प्रत्येक बुधवार 21 अक्टूबर से तथा नई दिल्ली से गाड़ी 02210 प्रत्येक गुरुवार 22 अक्टूबर से चलेगी। गाड़ी संरचना में एसएलआरडी दो, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एक, स्लीपर श्रेणी आठ, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी पांच, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी एक, व पैंट्री कार एक होंगे। भुवनेश्वर से गाड़ी सं. 02813, प्रत्येक शनिवार 17 अक्टूबर से तथा आनंद विहार (ट.) से गाड़ी 02814 प्रत्येक सोमवार से चलेगी। गाड़ी संरचना में एसएलआरडी-02, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी-01, स्लीपर श्रेणी-08, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी-05, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी-01, व पैंट्री कार-01 होंगे। गाड़ी 02520-02519 कामख्या-लोकमान्य तिलक (ट.) विशेष वातानुकूलित एक्सप्रेस (साप्ताहिक) कामख्या से गाड़ी 02520 प्रत्येक गुरुवार 15 अक्टूबर से तथा लोकमान्य तिलक (ट.) से गाड़ी 02519 प्रत्येक रविवार 18 अक्टूबर से अगले निर्देश तक चलेगी।

हाथरस कांड पीड़ितों की अवैध निरूद्धि को लेकर दाखिल याचिका खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने के आरोप को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। पीड़ित परिवार के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आने-जाने की अनुमति देने या लोगों से मिलने जुलने की छूट देने की मांग में दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर कई निर्देश दिए हैं। ऐसे में इस मामले में यहां हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता महमूद प्राचा, कासिफ अब्बास रिजवी व जॉन अब्बास और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय को सुनकर दिया है। कोर्ट द्वारा पीड़ित परिवार के लोगों का वकालतनामा ना दाखिल करने के सवाल पर याची सोनीपत हरियाणा निवासी सुरेंद्र कुमार का कहना था कि उसने परिवार के लोगों से फोन पर बात कर अनुमति ली है और वाट्सएप मैसेज भी प्राप्त किया है। कोर्ट ने वाट्सएप मैसेज के स्क्रीन शॉट की प्रति पेश की गई। पीड़ित परिवार की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया है कि प्रशासन ने परिवार को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा है। उन्हें अपनी मर्जी से कहीं आने-जाने या किसी से मिलने-जुलने की अनुमति नहीं है। पीड़ित परिवार की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस कर रहे अधिवक्ता महमूद प्राचा और कोर्ट में उपस्थित अधिवक्ता कासिफ अब्बास रिजवी व जॉन अब्बास का कहना था कि प्रशासन पीड़ित परिवार को अपनी मर्जी से कहीं आने-जाने नहीं दे रहा है। उन्हें अपनी मर्जी से किसी से मिलने या बात भी नहीं करने दिया जा रहा है। उनके मोबाइल फोन ले लिए गए हैं। प्रशासन ने परिवार के सदस्यों की निजी स्वतंत्रता का हनन किया है। मांग की गई कि परिवार के सदस्यों को उनकी मर्जी से लोगों से मिलने और दिल्ली जाने की छूट दी जाए। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार का कोई सदस्य कोर्ट नहीं आया है। जिस व्यक्ति ने याचिका दाखिल की है, उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। यह याचिका वाट्सएप मैसेज के आधार पर दाखिल की गई है। वाट्सएप मैसेज भी फारवर्डेड है। इसकी सत्यता का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। याचिका में किसी का वकालतनामा तक नहीं है। मनीष गोयल का यह भी कहना था कि पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दी गई है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को दो गनर दिए गए हैं। घर में आठ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। परिवार के सदस्य मीडिया और परिचितों से बिना रोकटोक मिल रहे हैं। इसके अलावा परिवार के किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि उन्हें इस सबसे कोई परेशानी है।

यूपीपीएससी : कम्प्यूटर टाइपिंग परीक्षा में मंगल फॉन्ट शामिल करने की मांग

कम्प्यूटर सहायक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी राहुल कपूर ने मांग करते हुए उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग पर मनमानी का आरोप लगाया है

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग यूपीपीएससी की कम्प्यूटर सहायक 2019 भर्ती की कम्प्यूटर टाइपिंग परीक्षा में क्रुतिदेव फॉन्ट के साथ ही हिंदी मंगल फॉन्ट को समाहित करने या उसकी वैकल्पिकता प्रदान करने की मांग अभ्यर्थियों की ओर से लोकसेवा आयोग के सचिव जगदीश और परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा से की गई है।

कम्प्यूटर सहायक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी राहुल कपूर ने मांग करते हुए उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग पर मनमानी का आरोप लगाया है। टाइप परीक्षा में हिंदी मंगल फॉन्ट शामिल न किये जाने से आयोग की कार्यप्रणाली और मंशा पर प्रश्न उठने लगे हैं। राहुल कपूर का कहना है कि आयोग में कम्पनी राज स्थापित हो गया है। आयोग परीक्षाओं को लेकर हमेशा विवादों में रहा है। कभी उत्तर कुंजी का विवाद तो कभी अन्य राज्यों के छात्रों की नियुक्ति का विवाद तो कभी पेपर आउट विवाद और भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा विवाद कम्प्यूटर सहायक 2019 भर्ती परीक्षा के कम्प्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिये जारी नोटिस को लेकर सामने आया है। जिसमें कम्प्यूटर हिन्दी टाइपिंग टेस्ट सिर्फ क्रुतिदेव फॉन्ट में लेने का

माध्यम आयोग की ओर से दिया गया है। जबकि टाइपिंग टेस्ट क्रुतिदेव फॉन्ट के साथ हिंदी मंगल फॉन्ट में भी विकल्प के तौर पर होना चाहिए। वह भी तब जब कम्प्यूटर टाइपिंग परीक्षा में भारत सरकार द्वारा विकसित तथा लगभग सभी कम्प्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और तकनीकि भाषा में ज्यादा संगत होने वाली हिन्दी मंगल फॉन्ट को समाहित और वैकल्पिकता नहीं देना आयोग का गलत निर्णय है।

पूर्व में की गई गलती की वजह से कम्प्यूटर ऑपरेटर 2019 भर्ती की कम्प्यूटर टाइपिंग परीक्षा में मंगल फॉन्ट मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राहुल कपूर बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मामला लंबित है। यही नहीं परीक्षार्थियों की भारी मांग के बावजूद इसे पुनः कठोरता पूर्वक अनसुना कर दिया गया। राहुल कपूर का आरोप है कि आयोग तानाशाही पर आमादा है। यह भी कहा जा रहा है कि उक्त परीक्षा आयोग के गलत निर्णय के आधार पर 23 अगस्त को करायी गयी। प्रयागराज और लखनऊ के कुल 54 केंद्रों में आयोजित परीक्षा में मात्र 33 फीसदी परीक्षार्थियों की ही उपस्थिति हो पाई थी। जबकि 67 प्रतिशत लोग परीक्षा में आयोग की जल्दबाजी के चलते नहीं शामिल हो पाए थे। उस समय प्रवेश पत्र में बड़ी खामी उजागर हुई थी। जिसका खुलासा अभ्यर्थी राहुल कपूर की ओर से किया गया था।

राहुल कपूर का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ आयोग लगातार खिलवाड़ कर रहा है। इस तरह बीच में किसी भर्ती परीक्षा का नियम बदलना या नया नियम बनाना न्यायोचित नहीं है। जबकि यह सभी को ज्ञात है कि मंगल फॉन्ट कम्प्यूटर जगत के सभी प्लेटफार्म ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन हर जगह प्रयोग में आता है। हिन्दी का यह मंगल फॉन्ट ज्यादा वैज्ञानिकी और तकनीकी रूप से सफल व प्रायोगिक भी है। परीक्षार्थियों की मांग है कि कम्प्यूटर सहायक 2019 कम्प्यूटर टाइपिंग परीक्षा में क्रुतिदेव फॉन्ट के साथ हिन्दी मंगल फॉन्ट को समाहित या वैकल्पिकता प्रदान किया जाए। इस बारे में आयोग के सचिव जगदीश से फोन पर बात करना चाहा तो वार्ता नहीं हो सकी।

कोर में कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूकता शपथ

प्रयागराज। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी भारत सरकार ने गुरुवार को ट्वीट कर कोविड.19 से बचाव हेतु जन आंदोलन की शुरूआत की। इसी क्रम में केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, प्रयागराज, के महाप्रबन्धक, यशपाल सिंह, एवं मुख्यालय के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ परियोजना इकाइयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कोविड-19 से बचाव के लिए सतर्क रहने, वायरस की चेन तोड़ने के लिए सावधानी बरतने, दो गज की दूरी बनाने, मास्क लगाने व नियमित रूप से हाथ धोकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। कोर मुख्यालय प्रांगण में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत 8 अक्टूबर को बैनर एवं पोस्टर लगाए गए जिससे लोगों में जागरूकता बनी रहे तथा कोविड-19 महामारी से बचें रहें।

संरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले रेलकर्मी पुरस्कृत

प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे, मुख्यालय के संरक्षा विभाग के उल्लेखनीय योगदान देने वाले 18 रेल कर्मियों को प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी प्रकाश देव मिश्रा ने पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। पुरस्कृत होने वालों अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सुश्री मनीषा गोयल, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यांत्रिक, नितिन वर्मा उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/बिजली, प्रदीप कुमार पाल उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/एस एण्ड टी, आर.के.सक्सेना उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/इंजीनियरिंग, एस.के. बोदरा, मुख्य कार्यालय अधीक्षक/ संरक्षा, अमित मुखर्जी, कार्यालय अधीक्षक/ संरक्षा, आर.के. श्रीवास्तव, निजी सचिव प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, धीरेंद्र सिंह, स्टेनो, सुनील कुमार, संरक्षा सलाहकार/ इंजीनियरिंग, बच्चू लाल, संरक्षा सलाहकार/ बिजली, अभय शंकर, संरक्षा सलाहकार/ टेलिकाम, गौरव श्रीवास्तव, संरक्षा सलाहकार/ यातायात निरीक्षक, रमेश कुमार , यातायात निरीक्षक, डी.आर भारतीय, यातायात निरीक्षक, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य गाड़ी लिपिक, ओम प्रकाश गुप्ता/सामान्य सहायक, महेश दास/ सामान्य सहायक, मो. सरफराज/ सामान्य सहायक शामिल थे।

अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत करते प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकार

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी प्रकाश देव मिश्रा ने कहा कि किसी भी प्रकार के संरक्षा सम्बंधी कार्यों को मुर्त रूप देने में संरक्षा विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। संरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न संरक्षा कार्यों के निष्पादन की मानीटरिंग करने के साथ साथ सभी स्तर पर समंवय स्थापित करने और कार्य निष्पादन में आने वाली किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने के कार्य में निरंतर प्रयास किया जाता है। संरक्षा विभाग के निरंतर एवं सतत प्रयासों के फलस्वरूप लाकाडाउन के दौरान भी सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया गया। इसी क्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी ने सम्मानित होने वाले रेल कर्मियों की कार्य के प्रति प्रतिबद्धता एवं निष्ठा के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी अपने सहयोगियों के लिए प्रेरणा के स्त्रोत हैं और उन्हें भी समान दक्षता के साथ काम करना चाहिए।उन्होंने बल देते हुये कहा कि संरक्षा हमारी प्राथमिक है । वर्तमान कोविड-19 के दृष्टिगत आवश्यक सभी कोविड नियमों के पालन के साथ साथ ट्रेनों के संचालन के दौरान वांछित सभी संरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन हर कीमत पर सुनिश्चित करना चाहिए ।

उन्होने यह आशा व्यक्त की कि पुरस्कृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार से अपनी पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ संरक्षा के कार्यों को मूर्तरूप दिया जाता रहेगा।

भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की तहसील इकाई करछना ने ग्यारह सूत्रीय मांग पत्र सौंपा

करछना। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की तहसील इकाई करछना ने पूर्व सूचना के आधार पर शुक्रवार को ग्यारह सूत्रीय मांग पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित करछना एस डी एम आकांक्षा राणा को शुक्रवार को सौंपकर कार्यवाही किये जाने की मांग की। ज्ञातव्य हो की प्रदेश में आए दिन पत्रकारों पर जानलेवा हमले, उत्पीड़न, हत्या और पुलिस प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमे लिखे जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। मांग पत्र केन्द्रीय कार्यकारिणी के निर्देशन और प्रांतीय सगठन तथा जिला संगठन के मार्गदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ करछना तहसील इकाई के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र देकर दिए गए विन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने की मांग की है। जिसमें प्रमुख मांगे निम्नवत है1-राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए ब्लाक, तहसील, जिले पर नियुक्त सभी पत्रकारों को मान्यता प्रदान की जाए और,स्वास्थय, चिकित्सा एवं परिवहन की सुविधा निशुल्क प्रदान की जाए तथा प्रतिमाह सरकार द्वारा सम्मानजनक मानदेय निर्धारित किया जाए।

केंद्रीय मंत्री के निधन पर भाजपाइयों ने जताया शोक

शोक व्यक्त करते भाजपाई

प्रयागराज। भारतीय जनता पार्टी महानगर प्रयागराज के तत्वावधान में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर भाजपाइयों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से कामना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने कहा, स्वर्गीय रामविलास पासवान समाज के दबे कुचले शोषित वंचित जनों के नेता थे। उन्होंने सदैव उनके हित में आवाज उठाई और उनके द्वारा किए गए राष्ट्र के प्रति कार्यों को देश सदैव याद रखेगा। मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने कहा कि स्वर्गीय राम विलास पासवान सदैव गरीबों के हृदय में जिंदा रहेंगे। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में गिरि बाबा, शशि वार्ष्णेय, कुंज बिहारी मिश्रा, देवेश सिंह, वरुण केसरवानी, बृजेश मिश्रा, विवेक अग्रवाल, राजू पाठक, रमेश पासी, प्रमोद मोदी, सचिन जायसवाल, राघवेंद्र सिंह, राजन शुक्ला, विश्वास श्रीवास्तव, किशोरी लाल जायसवाल, गौरव गुप्ता, ज्ञानेंद्र मिश्रा, मनोज मिश्रा, अभिषेक ठाकुर, श्याम प्रकाश पांडेय आदि ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन पर यमुनापार के भाजपाइयों ने शोक सभा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष विभवनाथ भारती ने कहा वह दलितों के साथ सम्पूर्ण समाज के निर्विवाद नेता रहे। उनका निधन समाज का अपूर्णीय क्षति है। भाजपा जिला कार्यालय सिविल लाइन्स मे दो मिनट मौन रखा गया। इस दौरान शोभनारायण द्विवेदी, जय सिंह पटेल, दिलीप कुमार चतुर्वेदी आदि रहे।

अखण्ड भारत संदेश के लिए स्वामी श्री योगी सत्यम कियायोग आश्रम एवं अनुसंधान सस्थान झूंसी, प्रयागराज 211019 से प्रकाशित एवं रामा प्रिंटिंग प्रेस 53/25/1ए बेली रोड नया कटरा प्रयागराज से मुद्रित।

मुद्रक/प्रकाशक
स्वामी श्री योगी सत्यम

पी0आर0बी0 एक्ट के अन्तर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी। इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों से संबंधित विवादों का न्याय क्षेत्र प्रयागराज होगा। आरएनआई नं0: UPHIN2001/9025

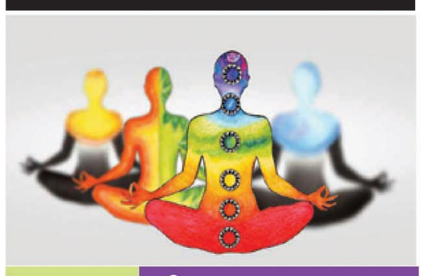

प्रयागराज शनिवार, 10 अक्टूबर, 2020

क्रियायोग सन्देश

परमहंस योगानंद के द्वारा

क्रियायोगा अमेरिका में 32 वर्ष का प्रचार-प्रसार

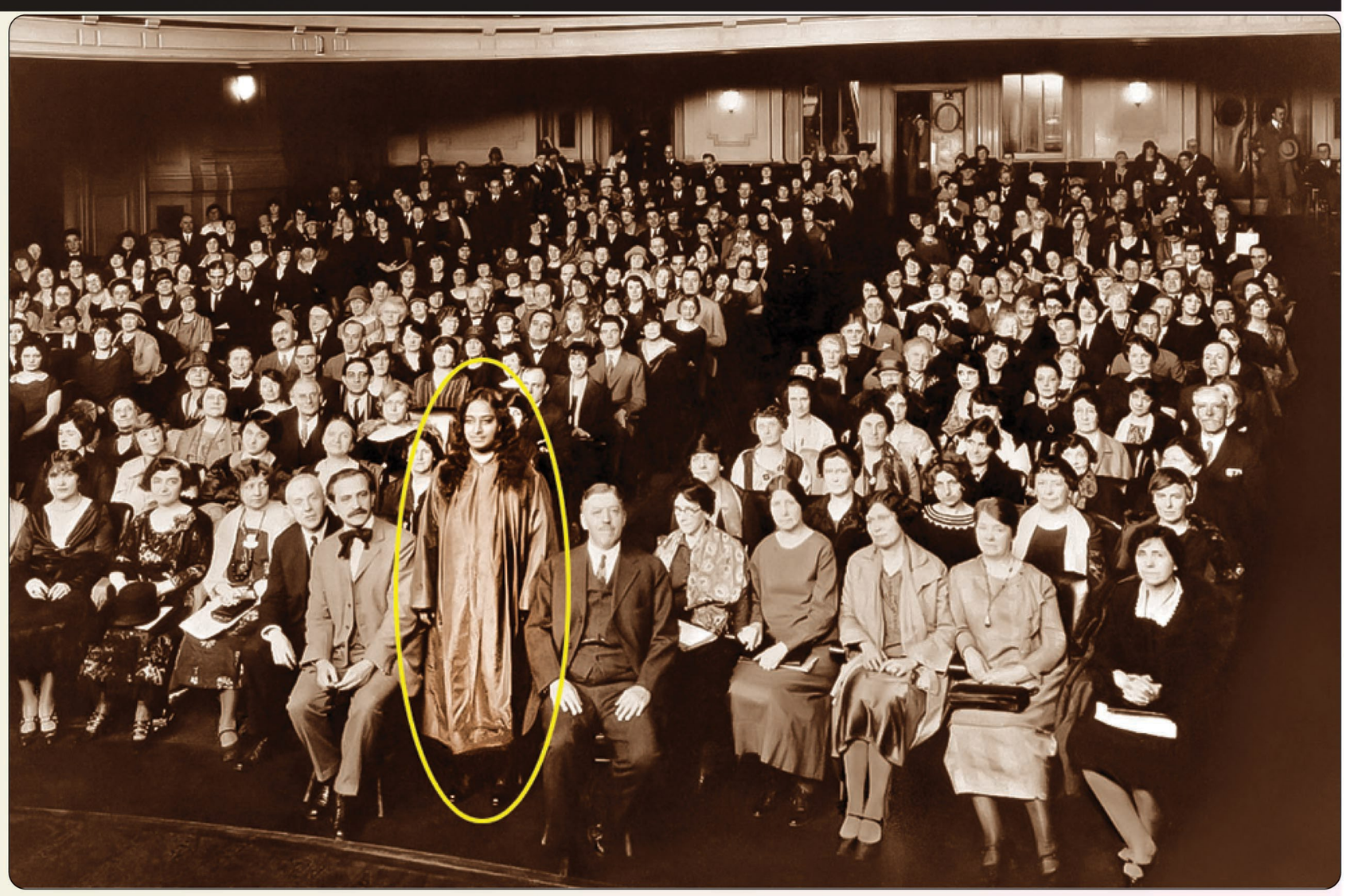

द सिटी ऑफ स्पर्ता सितंबर के उत्तरार्थ में बात चमके बंदरगाह में खड़ा हो गया। अक्टूबर 1920 को परमहंस योगानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका में अपना पहला व्याख्यान दिया। व्याख्यान का अच्छा स्वागत हुआ। सम्मेलन पश्चात, सम्मेलन पर प्रकाशित एक विवरण इस प्रकार व्यक्त हुआः

" रांची के ब्रह्मचर्य आश्रम से आए प्रतिनिधि स्वामी योगानंद ने अपने संस्था की ओर से सम्मेलन का अभिनंदन किया। धाराप्रवाह अंग्रेजी में ओजस्वी वक्तृत्व के साथ उन्होंने धर्म विज्ञान पर दार्शनिक स्वरूप का व्याख्यान दिया, जिसे बड़े स्तर पर वितरण करने के लिए एक पत्रक के रूप में छप दिया गया है। अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि धर्म सर्वभोमिक है और एक ही है। सिटी रिवाज और बुरी प्रथम को सर्व भौमिक नहीं बनाया जा सकता; परंतु धर्म में सामान्य तत्व को सर्वभोमिक बनाया जा सकता है और सबको उसका अनुसरण करने एवं उसका पालन करने के लिए कहा जा सकता है।"

सम्मेलन के समाप्त हो जाने के बाद परमहंस योगानंद जी वास्तव में 3 वर्ष साधारण परिस्थितियों में बास्टल में सार्वजनिक व्याख्यान दिए, दीक्षा वर्ग चलाएं और संघ ऑफ द सोल (आत्मा के गीत) नामक एक काव्य पुस्तक भी लिखी. 1925 मैं परमहंस योगानंद जी ने अमेरिका महाद्वीप की यात्रा शुरू की और प्रमुख शहरों में हजारों लोगों के समक्ष व्याख्यान दिये। 1925 के अंत तक कुछ शिक्षाओं के अनुसरण करने वाले उदार मना लोगों की सहायता से एक कैलिफोर्निया कैलाश एंजिलिस शहर में माऊण्ट वाशिंगटन एस्टेट्स पर एक अमेरिकी मुख्यालय की स्थापना की गई। माउंट वॉशिंगटन वही भवन था जो योगानंद जी अनेक वर्षों पहले कश्मीर में अपने अंश दर्शन में देखा था।

वर्ष पर वर्ष बीतते गये। योगानंद जी ने अमेरिका के कई हिस्से में और सैकड़ों क्लबों, कॉलेजों, गिरजाघरों और प्रत्येक प्रकार के श्रोतृवृंदों के सामने व्याख्यान दिये। १९२०-३० के दशक में सहस्त्र-सहस्त्र अमेरिकी लोगों ने योग कि कक्षाओं में शिक्षा ली।

कभी-कभी साधारणतया महीने के पहले तारीख को जब चल रिलाइजेशन फैलोशिप कि मुख्यालय माउंट वॉशिंगटन सेंटर को चलाने के लिए किए गए खर्चे के बिलों की भरमार लग जाती थी, परमहंस योगानंद जी को भारत की सादगी भरी शांति की याद खेता तिथि। परंतु दिन प्रतिदिन पूर्व और पश्चिम के बीच सद्भावना वृद्धिगत होती दिखाई देती; योगानंद जी व्याख्या करते थेः "मेरी आत्मा को हर्ष होता।"

THE SPREAD OF KRIYAYOGA IN AMERICA FOR 32 YEARS

By Spiritual Guru – Paramahansa Yogananda

In late September 1920, The City of Sparta docked near Boston. Paramahansa Yogananda ji addressed the World's Religion of Liberals Congress on October 6th, 1920. It was well received. In a published account the next day, it was written about the Congress as follows:

"Swami Yogananda, delegate from the Brahmacharya Ashram of Ranchi, India, brought the greetings of his Association to the Congress. In fluent English and a forcible delivery he gave an address of a philosophical character on 'The Science of Religion,' which has been printed in pamphlet form for a wider distribution. Religion, he maintained, is universal and it is one. We cannot possibly universalize particular customs and convictions, but the common element in religion can be universalized, and we can ask all alike to follow and obey it."

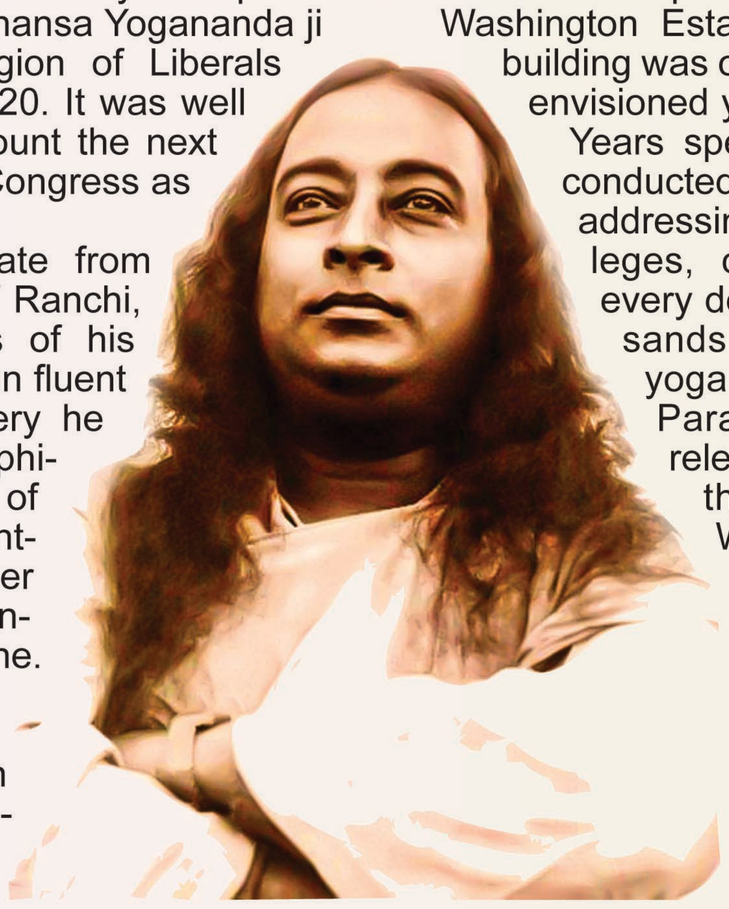

Following the event, Paramahansa Yogananda spent another four years in humble circumstances in Boston giving public lectures, teaching classes and also wrote a book of poems – Songs of the Soul. In the summer of 1924, he started a transcontinental tour speaking before thousands in the principal cities. By the end of 1925, with the help of large-hearted students, Yogananda managed to establish an American headquarters on the Mount Washington Estates in Los Angeles. The building was one which Yoganandaji had envisioned years before in Kashmir.

Years sped by with many lectures conducted in every part of America, addressing hundreds of clubs, colleges, churches and groups of every denomination. Tens of thousands of Americans received yoga initiation. At this point, Paramahansa Yogananda released a new book of prayer thoughts in 1929 – Whispers From Eternity. A poem in the book entitled "God! God! God!" which was composed one night while standing on a lecture platform is as follows:

"From the depths of slumber, As I ascend the spiral stairway of wakefulness, I whisper: God! God! God!

"Thou art the food, and when I break my fast Of nightly separation from Thee, I taste Thee, and mentally say: God! God! God!

"No matter where I go, the spotlight of my mind Ever keeps turning on Thee; And in the battle din of activity. My silent war cry is ever: God! God! God!

"When boisterous storms of trials shriek, And

when worries howl at me, I drown their clamor, loudly chanting: God! God! God!

"When my mind weaves dreams, With threads of memories,

Then on that magic cloth I find embossed: God! God! God!

"Every night, in time of deepest sleep, My peace dreams and calls, Joy! Joy! Joy! And my joy comes singing evermore: God! God! God!

"In waking, eating, working, dreaming, sleeping, Serving, meditating, chanting, divinely loving, My soul constantly hums, unheard by any: God! God! God!"

When the bills for upkeep of Mount Washington and other Self-Realization Fellowship centers rolled in on the first of the month, Paramahansa Yogananda often thought longingly of the simple peace of India. However, in seeing the widening understanding between West and East, Yogananda ji wrote, "my soul rejoiced".